

**IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

**ORIGINAL APPLICATION NO. 135/2024 & 267/2024**

KHUSBU SINGH

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.

...RESPONDENTS

**INDEX**

S.NO	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	REPLY ON BEHALF OF DIVISIONAL FOREST OFFICER BHADOHI, IN COMPLIANCE WITH THE ORDER DATED 20.11.2024 ALONGWITH THE SUPPORTING AFFIDAVIT	04-12
2.	<b><u>ANNEXURE 1.</u></b> Copy of <b>Letter No. 1182/Gyanpur/33-1 dated 18.11.2017</b> , issuing the No Objection Certificate (NOC) for proposed mining activities	13
3.	<b><u>ANNEXURE 2.</u></b> Copy of <b>Order No. 346/81-4-2020-823-2008-O.C. dated 17.03.2020</b> , declaring a 30 km stretch along the Ganga River as the Turtle Wildlife Sanctuary	14-16
4.	<b><u>ANNEXURE 3.</u></b> Copy of <b>Letter No. 344/Mining Clerk/2021 dated 30.07.2021</b> , proposing e-tendering and e-auction for mining at Kurdi Kala and Ibrahimpur	17
5.	<b><u>ANNEXURE 4.</u></b> Copy of <b>Letter No. 257/Gyanpur/26-1 dated 04.08.2021</b> ,	18

	requesting on-site field verification of proposed mining sites	
6.	<b><u>ANNEXURE 5.(COLLY)</u></b> Copy of <b>Letter No. 17/Gopiganj/26-1 dated 10.08.2021</b> , containing inspection findings from the Range Forest Officer, Aurai along with the photographs	19- 20
7.	<b><u>ANNEXURE 6.</u></b> Copy of <b>Letter No. 344/Gyanpur/26-1 dated 13.08.2021</b> , issuing NOC for areas outside Kurdi Kala	21
8.	<b><u>ANNEXURE 7(COLLY).</u></b> Copy of <b>Letter No. 345(i) dated 01.02.2024</b> , issued by the Additional District Magistrate, Bhadohi, requesting re-verification of the mining areas; <b>Letter No. 1380 dated 07.02.2024</b> , issued by the Divisional Forest Officer, directing the Range Forest Officer to re-verify the mining areas; and <b>Letter No. 152/Gopiganj/16F-1 dated 15.02.2024</b> , containing the findings from the Range Forest Officer after re-verification	22-26
9.	<b><u>ANNEXURE 8(COLLY).</u></b> Copy of <b>Letter No. 504 dated 24.08.2024</b> , issued by the District Magistrate, Bhadohi, to the Divisional Forest Officer (DFO), Bhadohi, requesting the demarcation of the Eco Sensitive Zone (ESZ) in compliance with the NGT's directions; <b>Letter No. 463 dated 09.09.2024</b> , forwarded by the DFO, Bhadohi, to the DFO, Prayagraj, requesting necessary action for ESZ demarcation; and <b>Reminder Letter No. 999 dated 05.12.2024</b> , reiterating the request for timely demarcation of the ESZ and emphasizing its importance and urgency	27-29
10.	<b><u>ANNEXURE 9.</u></b> Copy of <b>Letter No. 1459/Gyanpur/37 dated 20.02.2024</b> , communicating updated findings to the Additional District Magistrate (Vigilance/Revenue)	30

11.	<b><u>ANNEXURE 10</u></b> (COLLY) Details of patrol team activities, reports on installed signboards marking Eco Sensitive Zone boundaries, and records of public awareness programs highlighting conservation and environmental benefits	31-35
-----	--	-------

Through

Date: 11.12.2024

Place: New Delhi



**PRIYANKA SWAMI**

ADVOCATE  
COUNSEL FOR SEIAA, STATE OF UTTAR PRADESH  
F-13, JANGPURA, NEW DELHI 110014  
E-mail: [advpriyankaswami@gmail.com](mailto:advpriyankaswami@gmail.com)

**IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI  
ORIGINAL APPLICATION NO. 135/2024 & 267/2024**

KHUSBU SINGH

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.

...RESPONDENTS

**REPLY ON BEHALF OF DIVISIONAL FOREST OFFICER  
BHADOHI, IN COMPLIANCE WITH THE ORDER DATED  
20.11.2024 ALONGWITH THE SUPPORTING AFFIDAVIT**

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. In compliance with the Hon'ble NGT's order dated 10.09.2024 in OA No. 645/2023 (*Lalit Kumar Jain vs. State of U.P. & Ors.*), this report is respectfully submitted. It was noted by the Tribunal that a No Objection Certificate (NOC) had been issued by the Divisional Forest Officer, Bhadohi, on 13.08.2021, based on which mining permissions and Environmental Clearance were granted, despite part of the site being within the eco-sensitive Turtle Sanctuary. The necessity of examining this was observed, and the Divisional Forest Officer was impleaded as Respondent No. 19, with directions issued for a reply and relevant documents to be submitted within two weeks and for personal appearance on 12.12. 2024. The order states:

*“...1. Replies have been filed by concerned District Magistrates and SEIAA, U.P wherein broadly they have taken a stand that No*

*Objection Certificate was issued by Divisional Forest Officer, Bhadohi on 13.08.2021 and in pursuance thereto, permission for mining and Environmental Clearance was granted.*

*2. We find that stand of Divisional Forest Officer, Bhadohi is also necessary to be looked into this matter as to how and in what circumstances he issued clearance/No Objection Certificate when admittedly, part of mining site was within eco-sensitive zone/Turtle Sanctuary.*

*3. Since Divisional Forest Officer Bhadohi (Sant Ravidas Nagar) is not a party, we implead him as respondent 19. Notice shall be issued to respondent 19 who shall file reply within two weeks from the date of receipt of notice along with requisite documents. He shall also remain present in person on the next date with relevant record.*

*4. List on 12.12.2024... ”*

2. That before the declaration of the Turtle Wildlife Sanctuary, the answering respondent had issued a No Objection Certificate (NOC) vide Letter No. 1182/Gyanpur/33-1 dated 18.11.2017, permitting proposed mining activities, with a clear stipulation that the NOC would become automatically void if the area was subsequently declared as a Reserved Forest. Copy of **Letter No. 1182/Gyanpur/33-1 dated 18.11.2017**, issuing the No Objection Certificate (NOC) for proposed mining activities is annexed herewith as **ANNEXURE-1**.
3. That in furtherance of conservation efforts, the Uttar Pradesh Government, through Order No. 346/81-4-2020-823-2008-O.C. dated 17.03.2020, declared a 30 km stretch along both banks of the Ganga River in the districts of

Bhadohi, Prayagraj, and Mirzapur as the Turtle Wildlife Sanctuary, necessitating a review of prior permissions granted for activities within or near the sanctuary. Copy of **Order No. 346/81-4-2020-823-2008-O.C. dated 17.03.2020**, declaring a 30 km stretch along the Ganga River as the Turtle Wildlife Sanctuary is annexed herewith as **ANNEXURE-2**.

4. That following this declaration, the District Magistrate, Bhadohi's Mining Section issued Letter No. 344/Mining Clerk/2021 dated 30.07.2021, proposing e-tendering and e-auction for mining at Kurdi Kala and Ibrahimpur, referring to the earlier NOC dated 18.11.2017. These proposals were conditional on adherence to all norms related to the sanctuary, ensuring that no adverse environmental impact would occur. Copy of **Letter No. 344/Mining Clerk/2021 dated 30.07.2021**, proposing e-tendering and e-auction for mining at Kurdi Kala and Ibrahimpur is annexed herewith as **ANNEXURE-3**.
5. That to ascertain the exact positions and implications of these proposed mining activities, this office requested the Range Forest Officer, Aurai, through Letter No. 257/Gyanpur/26-1 dated 04.08.2021, to conduct an on-site field verification of the areas at Kurdi Kala, Ibrahimpur, and Purwa. This verification aimed to ensure that no mining activities would infringe upon or endanger the Turtle Wildlife Sanctuary. Copy of **Letter No. 257/Gyanpur/26-1 dated 04.08.2021**, requesting on-site field verification of proposed mining sites is annexed herewith as **ANNEXURE-4**.
6. That after conducting the necessary inspections, the Range Forest Officer, Aurai, submitted a report via Letter No. 17/Gopiganj/26-1 dated 10.08.2021.

GPS coordinates of the proposed mining sites were cross-verified using Google Maps being submerged due to floods. The findings indicated that Kurdi Kala (Gata No. 59, 5.00 acres) lay within the Turtle Wildlife Sanctuary boundary, whereas Ibrahimpur (Gata No. 103, 10.00 acres) was located approximately 17.1 km away, and Purwa (Gata No. 03, 10.00 acres) was located approximately 16.3 km away from the sanctuary. Copy of **Letter No. 17/Gopiganj/26-1 dated 10.08.2021**, containing inspection findings from the Range Forest Officer, Aurai along with the photographs is annexed herewith as **ANNEXURE-5(COLLY)**.

7. That based on these initial verification results, the then Sub- Divisional Forest Officer, Bhadohi, issued an NOC for the mining areas through Letter No. 344/Gyanpur/26-1 dated 13.08.2021, presuming that the areas beyond Kudi Kala were sufficiently distant and posed no immediate threat to the sanctuary's ecological integrity. Copy of **Letter No. 344/Gyanpur/26-1 dated 13.08.2021**, issuing NOC for areas outside Kurdi Kala is annexed herewith as **ANNEXURE-6**.
8. That subsequently, in the year 2024, upon receiving a request from the Additional District Magistrate, Bhadohi, to the Divisional Forest Officer for re-verification of the mining areas through Letter No. 345(i) dated 01.02.2024, the DFO, through Letter No. 1380 dated 07.02.2024, directed the Range Forest Officer to re-verify the mining areas located in Aurai. In compliance with these directives, the Range Forest Officer carried out another round of inspections and submitted the findings via Letter No. 152/Gopiganj/16F-1 dated 15.02.2024. Copy of **Letter No. 345(i) dated 01.02.2024**, issued by the Additional District Magistrate, Bhadohi, requesting

re-verification of the mining areas; **Letter No. 1380 dated 07.02.2024**, issued by the Divisional Forest Officer, directing the Range Forest Officer to re-verify the mining areas; and **Letter No. 152/Gopiganj/16F-1 dated 15.02.2024**, containing the findings from the Range Forest Officer after re-verification is annexed herewith as **ANNEXURE-7 (COLLY)**.

9. That the re-verification revealed discrepancies in the initial assessment. It established that Ibrahimpur, now identified as Gata No. 108 (10.00 acres), was situated 8.4 km away from the sanctuary, and Purwa (Gata No. 03, 10.00 acres) was located 7.7 km away. Although both areas remained outside the sanctuary boundaries, the revised distances indicated that they were closer than previously recorded.
10. That in parallel, the District Magistrate (DM), Bhadohi, issued a letter (No. 504 dated 24.08.2024) to the Divisional Forest Officer (DFO), Bhadohi, in compliance with the NGT's directions, requesting for the demarcation of the Eco Sensitive Zone (ESZ) of the Turtle Wildlife Sanctuary. Since the Turtle Wildlife Sanctuary falls under the jurisdiction of the DFO, Prayagraj as per the letter no.502/81-4-2020 dated 23.06.2020, the DFO, Bhadohi, forwarded a letter (No. 463 dated 09.09.2024) to the DFO, Prayagraj, requesting necessary action to ensure compliance with the NGT order. Furthermore, a reminder letter (No. 999 dated 05.12.2024) was also sent by the DFO, Bhadohi, to the DFO, Prayagraj, reiterating the request for timely demarcation of the ESZ and emphasizing the importance and urgency of the matter. Copy of **Letter No. 504 dated 24.08.2024**, issued by the District Magistrate, Bhadohi, to the Divisional Forest Officer (DFO), Bhadohi, requesting the demarcation of the Eco Sensitive Zone (ESZ) in compliance

with the NGT's directions; **Letter No. 463 dated 09.09.2024**, forwarded by the DFO, Bhadohi, to the DFO, Prayagraj, requesting necessary action for ESZ demarcation; and **Reminder Letter No. 999 dated 05.12.2024**, reiterating the request for timely demarcation of the ESZ and emphasizing its importance and urgency is annexed herewith as **ANNEXURE-8(COLLY)**

11. That these updated findings were communicated to the Additional District Magistrate (Vigilance/Revenue) through Letter No. 1459/Gyanpur/37 dated 20.02.2024. The letter provided precise coordinates and clarified their positions relative to the sanctuary: Ibrahimpur, at 25.13175° N and 82.20566° E, is 8.4 km east (downstream) of the sanctuary boundary, and Purwa, at 25.131713° N and 82.204351° E, is 7.7 km east (downstream), both lying within the revenue limits of Bari Pur Uprwar. Copy of **Letter No. 1459/Gyanpur/37 dated 20.02.2024**, communicating updated findings to the Additional District Magistrate (Vigilance/Revenue) is annexed herewith as **ANNEXURE-9**.
12. That to enhance protection measures, the DFO, Bhadohi, communicated the contents of Letter No. 504 dated 24.08.2024 to the Forest Ranger, instructing the formation of a patrolling committee tasked with preventing illegal mining, fishing, and other prohibited activities. The committee also spread awareness about the Eco Sensitive Zone and installed hoardings and signboards at prominent locations to inform and remind the public about its boundaries, restrictions, and significance.
13. That in light of discrepancies and procedural lapses observed in the issuance of earlier NOCs, disciplinary proceedings are being initiated against the concerned officials and employees. Such proceedings will be undertaken

strictly in accordance with the applicable rules and regulations, ensuring accountability for any misconduct or oversight.

14. That That currently no mining activities occur within the Turtle Wildlife Sanctuary. Patrol teams have been formed to prevent unauthorized activities and safeguard its ecological balance. Signboards and hoardings have been installed to inform locals and visitors of the Eco Sensitive Zone's boundaries and restrictions, and public awareness programs are being organized to emphasize the importance of conservation and the sanctuary's ecological benefits. Details of patrol team activities, reports on installed signboards marking Eco Sensitive Zone boundaries, and records of public awareness programs highlighting conservation and environmental benefits is annexed herewith as **ANNEXURE-10**(COLLY)
15. That the DFO, Bhadohi, is fully committed to complying with the orders of the Hon'ble NGT and ensuring the conservation of the Eco Sensitive Zone and the Turtle Wildlife Sanctuary. All efforts are being made to implement protective measures, enhance public awareness, and collaborate with concerned authorities for the effective execution of NGT directives.

Through

Date: 11.12.2024


Place: New Delhi



**PRIYANKA SWAMI**

ADVOCATE  
COUNSEL FOR SEIAA, STATE OF UTTAR PRADESH  
F-13, JANGPURA, NEW DELHI 110014  
E-mail: [advpriyankaswami@gmail.com](mailto:advpriyankaswami@gmail.com)





**VERIFICATION**

Verified on solemn affirmation at New Delhi on this 09 DEC 2024 2024,

that the contents of the foregoing affidavit are true and correct to the best of my knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

aa.

*Shivam*  
5/6004/2022  
I identified the deponent who  
has signed in my presence

**ATTESTED**  
**NOTARY PUBLIC**  
**(INDIA)**

**09 DEC 2024**

कार्यालय प्रशासीय वनाधिकारी, गदोही वन प्रभाग, भदोही।  
पत्रांक- 1182 / ज्ञानपुर / 33-1, दिनांक, ज्ञानपुर, नवम्बर, 18, 2017।

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)

जनपद-भदोही।

विषय-

वन अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में।

सन्दर्भ-

आपका पत्रांक-119/खनन/2017, दिनांक 17-11-2017।

अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्रांक- 2220/ज्ञानपुर/35-1, दिनांक 02.05.2017 तथा पत्रांक-2049/ज्ञानपुर/33-1, दिनांक 18.05.2017 द्वारा सूचनादेश संख्या-715/08-2017-57 (सं)/2017 मूलतः एवं अनिर्णय विभाग, लखनऊ दिनांक 22.04.2017 के अनुपालन में ई-रेण्डरिंग के माध्यम से अल्प अवधि के लिए खनन अनुज्ञापत्र स्वीकृत करते हुए निम्न प्रकार का अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किए गए थे।

क्र.सं०	जिल्ला	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (एकड़ में)	अनिर्णय का नाम
1	ज्ञानपुर	कुडीकला तरी	59	05.00	साधारण बालू
2	ज्ञानपुर	इब्राहिमपुर	103	10.00	साधारण बालू
3	ज्ञानपुर	पुरवा	30	10.00	साधारण बालू

आपके उपरोक्त सम्बन्धित पत्र द्वारा जिल्ला ज्ञानपुर के ग्राम कुडीकला तरी, इब्राहिमपुर व पुरवा में गंगा नदी साधारण बालू के रिक्त क्षेत्रों पर सूचनादेश संख्या-1875/98-2017-57(7)/2017 टी०सी०आई० दिनांक 14-08-2017 के अनुपालन में ई-निविदा सह ई नीलामी के माध्यम से 05 वर्ष की अवधि हेतु उक्त क्षेत्रों की खनन अनुज्ञापत्र स्वीकृत किये जाने हेतु वन अनापत्ति प्रमाण पत्र की अपेक्षा की गयी है।

अतः उक्त के आधार पर गंगा नदी साधारण बालू के रिक्त क्षेत्रों पर सूचनादेश संख्या-1875/98-2017-57(7)/2017 टी०सी०आई० दिनांक 14-08-2017 के अनुपालन में ई-निविदा सह ई नीलामी के माध्यम से 05 वर्ष की अवधि के लिए खनन अनुज्ञापत्र स्वीकृत किये जाने हेतु निम्न प्रकार वन अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत की जाती है।

क्र.सं०	जिल्ला	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	2	3	4	5
1	ज्ञानपुर	कुडीकला तरी	59	05.00
2	ज्ञानपुर	इब्राहिमपुर	103	10.00
3	ज्ञानपुर	पुरवा	30	10.00

उक्त क्षेत्र यदि परिधि में आरक्षित वन क्षेत्र घोषित होता है तो अनापत्ति तदनुसार निष्कायी हो जायेगा।

(डी०के०श्रीवास्तव)  
प्रशासीय वनाधिकारी,  
भदोही वन प्रभाग, भदोही।

संख्या- 1182 (सं)/सगदिनांक।

प्रतिलिपि-निम्न लिखित को सूचना एवं आवश्यक धारणाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य वन संरक्षक, गीरजापुर क्षेत्र, गीरजापुर।
2. खान निरीक्षण, गदोही द्वारा खान अधिकारी, गीरजापुर।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी, औरई।

(डी०के०श्रीवास्तव)  
प्रशासीय वनाधिकारी,  
भदोही वन प्रभाग, भदोही।

प्रस. संख्या-74



संविधान नम्बर प्रसोपसोपी०/एन०-

संख्या/सोपी०-३१/२०१४-१६

साइरोना दू. पोस्ट एट कन्वेन्शनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 17 मार्च, 2020

फाल्गुन 27, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4

संख्या 316/81-4-2020-825-2008 टी०सी०

लखनऊ, 17 मार्च, 2020

आधेरूचना

पन्ना 85

मुझे राज्य सरकार की राय है कि नीचे अनुसूची में विस्तृत रूप में उल्लिखित क्षेत्र वन्यजीव एवं उसके पर्यावरण के संरक्षण, संतुलन एवं विकास के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पर्यावरणिक, प्राकृतिक, नगरपालिका, सू-अकृषिगत, प्राकृतिक तथा प्राणिवैज्ञानिक मदत का है।

अतएव, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (अधिनियम संख्या 85 सं. 1972) की भाग 18 की उपधारा(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल जिला गढ़ी, प्रयागराज एवं मिर्जापुर के संलग्न गंगा नदी के दोनों तटों से आयत 50 किमी. लम्बाई में फैले क्षेत्र को नीचे अनुसूची के अनुसार वन्यजीव विहार के रूप में स्थगित करने के अपने आदेश की घोषणा करती है:-

अनुसूची

जिला	नदी का नाम	वन्यजीव वन्य जीव विहार का क्षेत्र
प्रयागराज, गढ़ी और मिर्जापुर	गंगा	गंगा नदी के दोनों तटों से सीमाबद्ध गंगा नदी के मुख्य धारा का 50 किमी० लम्बाई में फैला क्षेत्र
	पूरव (नदी का अन्य प्रवाह)	ग्राम- नरसिपुर उपखण्ड, ज्ञानपुर, जिला गढ़ी की राजस्व सीमा में अक्षांश- 25.273769 दशान्तर-82.207486

2

उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 17 मार्च, 2020

सीमाएं	पश्चिम(नदी का उर्ध्व प्रवाह)	ग्राम कोठरी, मेजा, जिला-प्रयागराज की राजस्व सीमा में- अक्षांश- 25.215000 देशान्तर-82.194814
	उत्तर	गंगा नदी का उत्तरी तट
	दक्षिण	गंगा नदी का दक्षिणी तट

आज्ञा से,  
सुधीर गर्ग,  
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 346/LXXXI-4-2020-823/2008 T.C., Dated March 17, 2020:

No. 346/LXXXI-4-2020-823/2008 T.C.  
Dated Lucknow, March 17, 2020

WHEREAS the State Government considers that the area, detailed in the Schedule below is of adequate ecological, faunal, floral, geomorphological, natural and zoological significance for the purpose of protecting, propagating and developing Wildlife therein and its environment;


NOW, THEREFORE, in exercise of powers conferred under sub-section(1) of section 18 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (Act no. 53 of 1972), the Governor is pleased to declare its intention to constitute the area in the stretch of 30 km. along both sides of Ganga River falling in the districts of Bhadohi, Prayagraj and Mirzapur as Kachhua Wildlife Sanctuary as per schedule below:-

Schedule		
Districts	Name of river	Area of Kachhua Wildlife Sanctuary
Prayagraj, Bhadohi and Mirzapur	Ganga	Area bounded by both banks of river Ganga in the stretch of 30 km. along main stream of River Ganga.
Boundaries	East (Down Stream of the River)	Latitude- 25.273769 Longitude-82.287486 Falling in Revenue Boundary of Village Baripur uparwar, Gyanpur of District Bhadohi.
	West (Up Stream of the River)	Latitude- 25.215000 Longitude-82.194814 Falling in Revenue Boundary of Village Kothari, Meja of District Prayagraj.
	North	Left Bank of River Ganga
	South	Right Bank of River Ganga

By order,  
SUDHIR GARG,  
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 30 राजपत्र-2020-(53)-599 प्रतिया (क०/टी०/ऑफसेट)।  
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 2 सा० पर्यावरण -2020-(54)-200 प्रतिया (क०/टी०/ऑफसेट)।

30 Rph Paryavaran, van anu-4-2020 -data-7



**कार्यालय जिलाधिकारी, भदोही।  
(समिति अनुभाग)**

संख्या 344/जनन विधिक/2021

दिनांक 30/07/2021

प्रधानीय जमाधिकारी,  
भदोही जन प्रभाग,  
भदोही।

महोदय,

कृपया उत्तर प्रदेश शासन, मृत्यु एवं अनाधिकृत अनुभाग के निर्गत आदेश संख्या-2158/26-2019-57(सां)/2017 की सी.1 दिनांक 09/10/2019 के अनुपालन में आगमन बाढ़ के वीज वनन क्षेत्र विहित है। जिसमें से एक खतम क्षेत्र रामपुरा स्वीकृत एवं संवाहित है एवं दो खतम क्षेत्र रामपुरा स्वीकृत नहीं एवं रामपुरा स्वीकृत क्षेत्र है। जिसको 5 वर्ष की अवधि के लिए ई-निविदा सह ई-नौलामी प्रणाली के माध्यम से खतम परिहार स्वीकृत किए जाने हेतु आपसे प्राप्त एनओसी/मार्क 1102/आनपुर/33-1 दिनांक, आनपुर नवम्बर 18, 2017 को 05वर्ष के लिये निर्गत किया गया था के आधार पर विज्ञापित करा जा रही है। जिसका विवरण निम्नवत् है-

**क्षेत्र का विवरण-**

क्र.सं.	परिवर्तित का नाम	नया का नाम	क्षेत्र का विवरण				निचबड़ी 1963 के अनुसूची 1 के अनुसार स्वीकृत एवं ई-निविदा के लिए (म.प्र. शासन)	क्षेत्र के लिये आवंटित भू-खतम का क्रमांक	क्षेत्र के लिये आवंटित भू-खतम का नाम	क्षेत्र के लिये आवंटित भू-खतम का क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	क्षेत्र के लिये आवंटित भू-खतम का मालिक का नाम
			वर्ग मी.	चौड़ाई	दीर्घा	क्षेत्रफल (वर्ग मी.)					
1	साधारण क्षेत्र	रामपुरा मही	आनपुर	कुशीनगर मही	99	2.023	ES/-	ED900	30	3844850/-	986213/-
2	साधारण क्षेत्र	रामपुरा मही	आनपुर	अनामिकापुर	104	4.347	GS/-	121410	7891650/-	1972913/-	

उक्त को अतिरिक्त उक्त ई-निविदा सह ई-नौलामी की कार्यवाही निम्नलिखित शिष्टि एवं उचित निम्नानुसार सम्पादित किया जाना है का विवरण निम्नवत् है-

प्रति विज्ञापित विज्ञापित का प्रकार/प्रकार	दिनांक 2007/2021 प्रथम दिन
प्रथम चरण ई-निविदा (ई-2020) की अति	दिनांक 05.08.2021 (पूर्वाह्न 10वजे) से दिनांक 31.08.2021 (रात्रि 05वजे) तक।
प्रथम चरण में प्रत्येक ई-निविदा (ई-2020) का खोला जाना एवं उचित कार्यवाही	1. दिनांक 01.08.2021 को (पूर्वाह्न 10वजे से 05वजे तक) रामपुरा स्वीकृत क्षेत्र का ई-निविदा खोला जायेगा। 2. दिनांक 01.08.2021 को (अपराह्न 01वजे से 03वजे तक) रामपुरा स्वीकृत क्षेत्र का ई-निविदा खोला जायेगा।
द्वितीय चरण की ई-नौलामी की अति	1. दिनांक 01.08.2021 को अपराह्न 05वजे से 07वजे तक। (रामपुरा स्वीकृत क्षेत्र) 2. दिनांक 01.08.2021 को अपराह्न 07वजे से 09वजे तक। (रामपुरा स्वीकृत क्षेत्र)

7C  
11/10/21  
05/08/21

समाचार पत्रों के माध्यम से संज्ञान में आना है कि रामपुरा में जनपद भदोही और जनपद प्रयागराज के जमा 2019 में स्वीकृत किया गया है। जिसकी सी.एन.डी. मानक 4 सूची के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं है एवं उपरोक्त क्षेत्रों को आपसे प्राप्त एनओसी/मार्क 1102/आनपुर/33-1 दिनांक, आनपुर नवम्बर 18, 2017 को 05वर्ष के लिये निर्गत किया गया था के आधार पर विज्ञापित कराया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि कायदा के संवैधानिक मानक, आदेशी निर्दिष्ट सूची के संदर्भ में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएं एवं एनओसी/मार्क 1102/आनपुर/33-1 दिनांक, आनपुर नवम्बर 18, 2017 को संख्या नं. कोई परिवर्तन हुआ हो तो आवश्यक जानकारी पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

*(हस्ताक्षर)*  
जान अधिकारी  
भदोही।

संख्या 4 दिनांक उपरोक्त।  
प्रतिलिपि-1- निदेशक, मृत्यु एवं अनाधिकृत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को भेजने हेतु अवगत/अनुपस्थिति में।  
2- जिलाधिकारी महोदय भदोही को सूचना के लिये भेजने हेतु।

जान अधिकारी  
भदोही।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, भदोही वन प्रभाग, भदोही।  
पत्रांक- 257/ज्ञानपुर/26-1, दिनांक, ज्ञानपुर, अगस्त, 04, 2021।

सेवा में,

क्षेत्रीय वन अधिकारी,  
औरई।

विषय-

खनन हेतु पूर्व में निर्गत वन अनापत्ति ग्राम-कुडीकला तरी, इब्राहिमपुर एवं पूरवा, तहसील-ज्ञानपुर,  
जनपद-भदोही का स्थलीय सत्यापन करने के संबंध में।

सन्दर्भ-

खान अधिकारी, भदोही का पत्रांक-344/खनन लिपिक/23021, दिनांक 30.07.2021।

खान अधिकारी, भदोही के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि " गंगा नदी में जनपद भदोही और जनपद प्रयागराज के मध्य कछुआ सेंचूरी घोषित किया गया है जिसकी बाँधपट्टी, मानक व दूरी के संबंध में कोई जानकारी नहीं है।" उक्त पत्र द्वारा कछुआ सेंचूरी से सम्बन्धित मानक, बाँधपट्टी निश्चित दूरी के संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

आपको अवगत कराना है कि पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक-1182/ज्ञानपुर/33-1, दिनांक 18-11-2017 द्वारा तहसील-ज्ञानपुर के अन्तर्गत ग्राम-कुडीकला तरी (गाटा संख्या-59 क्षेत्रफल एकड़ में 05.00), ग्राम-इब्राहिमपुर (गाटा संख्या-103 क्षेत्रफल एकड़ में 10.00) एवं ग्राम-पूरवा (गाटा संख्या-30 क्षेत्रफल एकड़ में 10.00) हेतु 05 वर्ष की अवधि के लिए खनन अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत किये जाने हेतु वन अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया था।

उत्तर प्रदेश शासन भवान्तरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4 संख्या-346/81-4-2020-823-2008 टी0सी0 लखनऊ, 17 मार्च, 2020 द्वारा निर्गत शनिसूचना में ग्राम बारीपुर उपरवार, ज्ञानपुर जनपद-भदोही से ग्राम-कोठारी, गेजा, जनपद-प्रयागराज के अन्तर्गत गंगा नदी के दोनों तटों से आवक 30 कि०मी० लम्बाई में फैले क्षेत्र को कछुआ वन्यजीव विहार घोषित किया गया है। भूखंड संलग्न है।

अस्तु आपको निर्देशित किया जाता है कि सरकारी भूजट का नली-भांति अवलोकन करते हुए आप तत्काल तहसील-ज्ञानपुर के अन्तर्गत ग्राम-कुडीकला तरी (गाटा संख्या-59 क्षेत्रफल एकड़ में 05.00), ग्राम-इब्राहिमपुर (गाटा संख्या-103 क्षेत्रफल एकड़ में 10.00) एवं ग्राम-पूरवा (गाटा संख्या-30 क्षेत्रफल एकड़ में 10.00) का गौके का स्वयं स्थलीय निरीक्षण कर यह देखें कि उक्त क्षेत्र कछुआ वन्य जीव विहार के अन्तर्गत आता है अथवा नहीं, के संबंध में अपनी सुरस्पष्ट आख्या जी०पी०र०स० लोकेशन सहित इस कार्यालय को तीन दिवस के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(नीरज कुमार आर्य)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
भदोही वन-प्रभाग, भदोही।

राष्ट्रीय स्तरीय वन आधिकारी-औसत रेखा भदोही वन प्रभाग, भदोही  
दिनांक - 17 / जेपीअप / 26-1, दिनांक अगस्त 10, 2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
भदोही वन प्रभाग, भदोही।

विषय:- खनन डेल्टा ड्रॉ में निर्गत वन अज्ञातता ग्राम-कुशिकला तरी, इग्राहमपुर एवं पूरवा, तहसील -  
ज्ञानपुर, जनपद-भदोही का स्थलीय स्थापन करने के सम्बन्ध में।  
सन्दर्भ - आपका पत्रांक - 257/ज्ञानपुर/26-1 दिनांक - 04.08.2021।



उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में ग्राम-कुशिकला तरी, इग्राहमपुर एवं पूरवा,  
तहसील-ज्ञानपुर, जिला-भदोही का स्थलीय-निरीक्षण किया गया। वर्तमान में प्रस्तावित खनन डेल्टा  
जलमग्न है। अतः खनन क्षेत्रों के प्रातः जीपीअप संख्या-346/81-4-2020-823-2008  
लोकेशन (हायाप्रति संलग्न है) एवं उत्तर प्रदेश  
शासन परामर्श, वन एवं जलवायु परिनर्तन अनुभाग-4 संख्या-346/81-4-2020-823-2008  
की संख्या-17 गीसी 2020 द्वारा निर्गत आदेशना में ग्राम-बारीपुर अग्रहार, ज्ञानपुर भदोही वन  
क्षेत्री, नोधा, जनपद-प्रयागराज के अन्तर्गत गंगा-नदी के दोनों तटों से आनक 30 कि०मी० लम्बाई में  
पैरि क्षेत्र को कटुआ वन्य जीव विहार घोषित किया गया है। (हायाप्रति संलग्न है)

अतः खनन डेल्टा जलमग्न होने के कारण कटुआ वन्य जीव विहार घोषित किया गया अर्थात् खनन  
में अस्वीकृत। जीपीअप संख्या-346/81-4-2020-823-2008 लोकेशन एवं खनन क्षेत्रों के प्रातः जीपीअप संख्या-346/81-4-2020-823-2008  
द्वारा अज्ञातता स्थापित किया गया है। (हायाप्रति संलग्न है) लक्षापाया गया कि ग्राम-कुशिकला तरी,  
तहसील-ज्ञानपुर जिला-भदोही का गाटा संख्या-54 क्षेत्रफल में 05.00 एकड़ (N-25°12'57.6" E-82°  
12'3.5") कटुआ वन्य जीव विहार के अन्तर्गत आता है। इसी प्रकार ग्राम-इग्राहमपुर, तहसील-ज्ञानपुर  
जिला-भदोही का गाटा संख्या-103 क्षेत्रफल-10.00 एकड़ (N-25°12'17.5" E-82°20'56.6")  
कटुआ वन्य जीव विहार के क्षेत्र ग्राम-बारीपुर अग्रहार तहसील-ज्ञानपुर जिला-भदोही से  
17.1 कि०मी० की दूरी पर स्थित है, जो कटुआ वन्य जीव विहार के अन्तर्गत नहीं आता है,  
तथा ग्राम-पूरवा तहसील-ज्ञानपुर जिला-भदोही का गाटा संख्या-30 क्षेत्रफल-10.00  
एकड़ (N-25°13'12.12" E-82°20'43.51") कटुआ वन्य जीव विहार के क्षेत्र ग्राम-बारीपुर  
अग्रहार तहसील-ज्ञानपुर जिला-भदोही से 16.3 कि०मी० की दूरी पर स्थित है जो कटुआ  
वन्य जीव विहार के अन्तर्गत नहीं आता है।

अतः खनन मंजूर्य की सेवा में सूचनाएँ एवं अग्रतर कार्यवाही डेल्टा निर्गत है।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार

भदोही  
जी०पी०अप  
अल्प वन आधिकारी  
औसत रेखा  
भदोही वन प्रभाग, भदोही



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, भदोही वन प्रभाग, भदोही।  
पत्रांक- 344/ज्ञानपुर/28-1, दिनांक, ज्ञानपुर, अगस्त, 13, 2021।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
भदोही।

विषय-

पूर्व में निर्गत वन अनापत्ति के संबंध में।

सन्दर्भ-

खान अधिकारी, भदोही, कार्यालय जिलाधिकारी, भदोही का पत्रांक- 344/खनन लिपिक/2021, दि 30.7.2021।

महोदय,

खान अधिकारी, भदोही ने उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया है कि " उत्तर प्रदेश शासन, भूतत्व एवं खनिज अन्वेषण के निर्गत शासनादेश संख्या-23163/86-2019-57 (साठ)/2017 टी0सी0 1 दिनांक 09.10.2019 के अनुपालन में साधारण बालू के तीन खनन क्षेत्र चिह्नित हैं जिसमें से एक खनन क्षेत्र ग्राम पुरावा स्वीकृत एवं संचालित है एवं दो खनन क्षेत्र ग्राम कुडीकला तरी एवं ग्राम इब्राहिमपुर स्थित हैं। जिसको 5 वर्ष की अवधि के लिए ई-निवारा सह ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से खनन परिसर स्वीकृत किये जाने हेतु विज्ञापित करा दी गयी है।" खान अधिकारी, भदोही ने उक्त पत्र के माध्यम से गंगा नदी में जनपद भदोही और प्रयागराज के मध्य कछुआ संचूरी घोषित किया गया है जिसकी चौड़ाई, मानक व निश्चित दूरी के संबंध आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

अदगत कारण है कि उक्त प्रकार की जॉब क्षेत्रीय वन अधिकारी, औराई से करायी गयी। क्षेत्रीय वन अधिकारी ने अवगत कराया है कि " उक्त खनन क्षेत्र जलमग्न होने के कारण कछुआ वन्य जीव विहार घोषित किये गये अधिसूचना में उल्लिखित जी0पी0एस0 लोकेशन एवं खनन क्षेत्रों के प्रथम जी0पी0एस0 लोकेशन को गूगल मैप द्वारा ऑनलाइन सत्यापित किया गया है। (प्रमाणित संलग्न है) तथा पाया गया कि ग्राम-कुडीकला तरी, तहसील-ज्ञानपुर जिला-भदोही का गाटा संख्या-59 क्षेत्रफल में 06.00 एकड़ (N-25°12'57.6" E-82°12'3.5 ) कछुआ वन्य जीव विहार के अन्तर्गत आता है। इसी प्रकार ग्राम-इब्राहिमपुर, तहसील-ज्ञानपुर जिला-भदोही का गाटा संख्या-103 क्षेत्रफल-10.00 एकड़ (N-25°13'17.5" E-82°20'56.6") कछुआ वन्य जीव विहार के क्षेत्र ग्राम-बारीपुर उपखण्ड तहसील-ज्ञानपुर जिला-भदोही से 17.1 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है, जो कछुआ वन्य जीव विहार के अन्तर्गत नहीं आता है, तथा ग्राम-पूरवा तहसील-ज्ञानपुर जिला-भदोही का गाटा संख्या-30 क्षेत्रफल 10.00 एकड़ (N-25°13'17.13" E-82°20'43.51") कछुआ वन्य जीव विहार के क्षेत्र ग्राम-बारीपुर उपखण्ड तहसील-ज्ञानपुर जिला-भदोही से 16.3 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है जो कछुआ वन्य जीव विहार के अन्तर्गत नहीं आता है।"

इस कार्यालय के पत्रांक-1182/ज्ञानपुर/33-1, दिनांक 18.11.2017 द्वारा तहसील ज्ञानपुर के अन्तर्गत ग्राम-कुडीकला तरी, इब्राहिमपुर, पूरवा हेतु वन अनापत्ति निर्गत किया गया था परन्तु उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अन्वेषण-4 संख्या-346/31-4-2020-823-2008 टी0सी0 लखनऊ, 17 मार्च, 2020 द्वारा निर्गत अधिसूचना में ग्राम बारीपुर उपखण्ड, ज्ञानपुर जनपद भदोही से ग्राम-कोटारी, भेजा, जगपद-प्रयागराज के अन्तर्गत गंगा नदी के दोनों तटों से आबद्ध 30 कि0मी0 लम्बाई में पूरे क्षेत्र को कछुआ वन्य जीव विहार घोषित किया गया है। गजट संलग्न है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी, औराई द्वारा उपलब्ध करायी गयी जॉब रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2017 में तहसील ज्ञानपुर के अन्तर्गत ग्राम-कुडीकला तरी, इब्राहिमपुर एवं पूरवा हेतु पूर्व में निर्गत वन अनापत्ति में से ग्राम-कुडीकला तरी जो कछुआ वन्य जीव विहार के अन्तर्गत आता है, को वन अनापत्ति निरस्त भी जाती है।

अतः रिपोर्ट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

*(नीरज कुमार आर्य)*  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
भदोही वन प्रभाग, भदोही।

संख्या- (1) / रागदिनांक

प्रतिलिपि-खान अधिकारी, भदोही, कार्यालय जिलाधिकारी, भदोही को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

80

*(नीरज कुमार आर्य)*  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
भदोही वन प्रभाग, भदोही।





कर्मस्थ. क्षेत्रीय वन अधिकारी, गौराई, भदोही  
पतांक - 152 / गौरीगंज / 16F-1, डिनांक -

15/10  
15/02

सेवा में  
~~प्रदेशीय वन अधिकारी~~  
भदोही वन प्रभाग  
भदोही।

विषय- ग्राम पुरवा एवं इब्राहिमपुर की सीमा कहुआ वन्य जीव अभयारण्य की सीमा से 10 कि०मी० की परिधि के अन्तर्गत इनकी खान्दितिव जांच के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- आपत्त पतांक - 1380/भदोही, डिनांक - 05/02/2004


महोदय, उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में ग्राम -


इब्राहिमपुर तहसील, ज्ञानपुर जिला - भदोही जी.पी.एच. लोकेशन (N. 251311.5", E 822056.6") कहुआ वन्य जीव अभयारण्य के पूरब (नदी का खखा: झाड़) ग्राम - बारीपुर उपखण्ड, ज्ञानपुर जिला - भदोही की राजस्व सीमा से अक्षांश - 25.293333 देशान्तर - 82.285486 है। कहुआ वन्य जीव अभयारण्य के 2.4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है जो कहुआ वन्य जीव अभयारण्य से इनकी खान्दितिव जांच में विद्यमान है तथा ग्राम - पूरवा तहसील ज्ञानपुर जिला - भदोही के जी.पी.एच. लोकेशन (N 251311.3", E 822043.51") कहुआ वन्य जीव अभयारण्य के क्षेत्र ग्राम - बारीपुर उपखण्ड ज्ञानपुर जिला - भदोही से 3.7 कि०मी० की दूरी पर स्थित है जो कहुआ वन्य जीव अभयारण्य एवं इनकी खान्दितिव जांच के अन्तर्गत आता है।

T.C  
16/02/04

अतः सूचना महोदय की सेवा में सूचनायें एवं उपरोक्त कार्य कही हेतु उपरि।  
संलग्नक - उपरोक्तानुसार

क्षेत्रीय  
राष्ट्रीय वन अधिकारी  
गौराई रेन्ज  
भदोही वन प्रभाग, भदोही





7.7 km

प्रमाणित  
 रजि.  
 क्षेत्रीय वनाधिकारी  
 रेंज-औराई  
 भदोही वन प्रभाग-भदोही



Add point



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, भदोही वन प्रभाग, भदोही  
पत्रांक- 463 / ज्ञानपुर, / 10-रिट / दिनांक, ज्ञानपुर, सितम्बर, 09, 2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी  
प्रयागराज वन प्रभाग,  
प्रयागराज।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0  
संख्या-135/2024 खुशबू सिंह बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य में पारित  
आदेश दिनांक 23-7-2024 के अनुपालन के संबंध में।  
सन्दर्भ:- कार्यालय कलेक्टर एवं जिलाधिकारी, भदोही का पत्रांक-504 / एन0जी0टी0 /  
ओ0ए0 नम्बर 135 / 2024 / 24-25 दिनांक 24-8-2024 .

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा जिलाधिकारी, भदोही ने कछुआ वाइल्डलाइफ सेन्चुरी के संबंध में मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-7-2024 के अनुपालन में कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया है। उक्त प्रकरण आपके प्रभाग से भी संबंधित है, उक्त के क्रम में जिलाधिकारी भदोही का उपरोक्त संदर्भित पत्र की छाया प्रति इस आशय से संलग्नकर प्रेषित कि उक्त पत्र में उल्लिखित संबंधित बिन्दुओं पर प्रभावी कार्यवाही कर अनुपालन आख्या जिलाधिकारी, भदोही को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

( नीरज कुमार आर्य )

प्रभागीय वनाधिकारी  
भदोही वन प्रभाग, भदोही।

संख्या- 463 अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, भदोही को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सादर अवगत हो कि उक्त प्रकरण में आपेक्षित कार्यवाही प्रयागराज वन प्रभाग से वांछित है।

( नीरज कुमार आर्य )

प्रभागीय वनाधिकारी  
भदोही वन प्रभाग, भदोही।

o/c

Email ID- dfobdh@rediffmail.com  
dfobhadohi@gmail.com

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, भदोही वन प्रभाग, भदोही  
पत्रांक- १११ /26-1/ज्ञानपुर, दिनांक, ज्ञानपुर दिसम्बर, 2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी  
प्रयागराज वन प्रभाग,  
प्रयागराज।

विषय :- कछुआ वन्य जीव विहार क्षेत्र के प्रबन्धन के सम्बन्ध में।  
संदर्भ- इस कार्यालय के पत्रांक 804/ज्ञानपुर/10 रिट दिनांक 11.11.2024 ।  
महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से कछुआ वन्य जीव विहार के अन्तर्गत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा योजित ओ०ए० संख्या-135/2024 खुशबू सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में संयुक्त समिति के प्रेषित आख्या में निहित अनुसंशा के अनुसार प्रभावी कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया गया है। मा० सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के T.N. Godavarman Thirumulpad vs Union Of India And Ors में पारित आदेश दिनांक 28.04.2023 के बिन्दु संख्या-21 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि किसी भी वन्य जीव विहार का ईको सेन्सिटिव जोन एक किलोमीटर के अन्तर्गत कोई भी खनन या अन्य गतिविधियाँ संचालित नहीं की जायेगी जिससे की अभ्यारण को क्षति पहुँचायी जा सके। जिसका मुख्य अंश निम्न प्रकार है :-

.....The result is that the order passed by this Court saying that there will be no mining activity within one kilometre safety zone around national park or wildlife sanctuary has to be enforced and there can be no mining activities within this area of one kilometre from the boundaries of national parks and wildlife sanctuaries."

उ०प्र० शासन पर्यावरण, वन्य एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4 के शारानादेश संख्या-346/अ 81-4-2020-823-2008 टी०सी० दिनांक 17.03.2020 द्वारा कछुआ वन्य जीव विहार जिला-भदोही, प्रयागराज एवं मीरजापुर के अन्तर्गत स्थापित करने हेतु आदेश निर्गत किया गया है। जिसके पश्चात शारानादेश संख्या-502/81-4-2020 दिनांक 23.06.2020 द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन्य एवं वन्य जीव प्रभाग, प्रयागराज के नियंत्रणाधीन रखा गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कछुआ वन्य जीव विहार के ईको सेन्सिटिव जोन का निर्धारण यथा शीघ्र करने का कष्ट करें। जिससे कछुआ वन्य जीव विहार के अन्तर्गत पर प्रभावी नियंत्रण की कार्यवाही की जा सके तथा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में किसी भी प्रतिकूल स्थिति का सामना न करना पड़े।

भवदीय

(नीरज कुमार आर्य)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
भदोही वन प्रभाग, भदोही

कार्यालय प्रमाणीय वनाधिकारी भदोही वन प्रभाग, भदोही  
पत्रांक 1457 / ज्ञानपुर / 37 दिनांक: भदोही: फरवरी, 20 2024

सेवा में

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)  
भदोही

विषय:- कछुआ सेन्दुरी प्रतिबंधित क्षेत्र की सूचना के सम्बन्ध में।  
संदर्भ:- आपका पत्रांक 345(I)/खनन लिपिक/2024 दिनांक 01-02-2024  
महोदय,

विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में क्षेत्रीय वन अधिकारी औराई से स्थानीय जांच करायी गयी। क्षेत्रीय वन अधिकारी औराई द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 152/गोपीगंज/16एफ-1 दिनांक 15-02-2024 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी रिपोर्ट के अनुसार ग्राम-इब्राहिमपुर एवं ग्राम-पुरवा के सम्बन्ध में निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की गयी है-

ग्राम-इब्राहिमपुर, तहसील-ज्ञानपुर, जिला-भदोही-

ग्राम-इब्राहिमपुर (जी०पी०र० लोकेशन-आक्षांश-25.13175 एवं देशान्तर-82.20566) है, जो कछुआ वन्य जीव विहार के पूरब (नदी के अघो प्रवाह) ग्राम-बारीपुर उपरवार की राजस्व सीमा (आक्षांश-25.273769 एवं देशान्तर-82.287486) से 8.4 कि०मी० की दूरी पर स्थित है।

ग्राम-पुरवा, तहसील-आनपुर, जिला-भदोही-

ग्राम-पुरवा (जी०पी०र० लोकेशन-आक्षांश-25.131713 एवं देशान्तर-82.204351) है, जो कछुआ वन्य जीव विहार के पूरब (नदी के अघो प्रवाह) ग्राम-बारीपुर उपरवार की राजस्व सीमा (आक्षांश-25.273769 एवं देशान्तर-82.287486) से 7.7 कि०मी० की दूरी पर स्थित है।

भवदीय

(नीरज कुमार आर्य)  
प्रमाणीय वनाधिकारी  
भदोही वन प्रभाग भदोही

संख्या / 1457 / समदिनांक

प्रतिलिपि - क्षेत्रीय वन अधिकारी औराई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(नीरज कुमार आर्य)  
प्रमाणीय वनाधिकारी  
भदोही वन प्रभाग भदोही

**कार्यालय**

**क्षेत्रीय वनाधिकारी-औराई रेंज, भदोही वन प्रभाग**

पत्रांक- 95 / औराई / 16F-1 दिनांक-12/11/2024

सेवा में,

समान स्टाफ  
औराई रेंज

विषय - आदेश के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ - प्रव० अ० भदोही के पत्रांक सं० - 804/मानफुट/10रिच/दिनांक - 11, नवम्बर, 2024 के सम्बन्ध में।

स्मारक

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन के क्रम में अवगत कराना है कि गंगा नदी के मुख्य धारा का 30 कि०मी० कदुआ वन्य जीव विहार के क्षेत्र में खनन, मट्टलियों को नहीं पकड़ा जाय इस सम्बन्ध में आप लोगों की इच्छा/निर्णय प्रकार अधिकारियों / कर्मचारियों को नामित किया जाता है -

क०सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	अध्यक्ष/सदस्य	अव्युक्ति
01.	श्री प्रभात कुमार सिंह	वरिष्ठ	अध्यक्ष	सम्बन्धित बीर के समस्त स्टाफ न्यूनतम पेंशन मार्गों की भी इच्छा लगाई जाती है।
02.	श्री अरुण प्रताप सिंह	वरिष्ठ	सदस्य	
03.	श्री वृजेश कुमार शिखा	बीर प्रमोदी (माली)	सदस्य	
04.	श्री रामेश्वरनाथ शुकला	बीर प्रमोदी (क०सं०)	सदस्य	

उक्त गठित टीम द्वारा खेल श्रमण करते रहे, कोई भी खनन, खनन, मट्टलियों को प्राप्त हो तत्काल खनन कार्य समाप्त करके उपलब्ध करण जिससे खनन अधिकारियों को भेजी जा सके।

प्रतिलिपि - प्रव० अ० भदोही महोदय जी को रचना प्रेषित।

*[Signature]*  
क्षेत्रीय वनाधिकारी  
रेंज-औराई  
भदोही वन प्रभाग-भदोही

क्षेत्रीय वनाधिकारी  
रेंज-औराई  
भदोही वन प्रभाग-भदोही

कार्यालय**क्षेत्रीय वनाधिकारी-औराई रेंज, भदोही वन प्रभाग**

पत्रांक- 96 / औराई / 16F-1 दिनांक-12/11/2024

सेवा में  
 प्रभागीय वनाधिकारी  
 भदोही वन प्रभाग  
 भदोही।

विषय- भारतीय हरित अधिग्रहण नई दिल्ली में योजित ओएस  
 संख्या-135/2024 खुशबू सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. व  
 अन्य में पारित आदेश दिनांक- 23/07/2024 के अनुपालन के  
 सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- आपका पत्रांक- 804/बानपुर/10रेंज/दिनांक-11/11/2024

महोदय, उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन के क्रम में  
 अवगत कराना है कि तीन बिन्दुओं की सूचना इस प्रकार है-

- ① कहुआ वन्यजीव विहार घोषित स्थलों पर होर्डिंग लगाकर फोटो संलग्न है।
- ② अभयारण्य के बर में गंगा नदी किनारे स्थित गांव एवं कहुआ वन्यजीव विहार स्थलों पर जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। फोटो संलग्न है।
- ③ गस्त दल का गठन इस कार्यालय के पत्रांक सं०-95/गोपीगंज/16F-1, दिनांक-12/11/2024 द्वारा किया जा रहा है आदेश गठित टीम का संलग्न है।

अतः रिपोर्ट सूचनार्थ जगलर कार्यवाही हेतु प्रेषित/  
 संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

अवधीप  
 (राहुल सिंह कोशीरु)

क्षेत्रीय वनाधिकारी  
 रेंज-औराई  
 भदोही वन प्रभाग-भदोही





